कोर्ट मार्शल

प्रलिमि्स के लयि:

कोर्ट मार्शल, न्यायालयी जाँच (कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी), सशस्त्र बल (वशिेष शक्तयिाँ) अधनियिम, FIR, दंड प्रक्रयिा संहति।

मेन्स के लयि:

आरोपयिों के लयि कोर्ट मार्शल और वैधानकि शरण।

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2020 में जम्मू-कश्मीर के शोपयिां ज़लि के अमशीपोरा में तीन लोगों की **हत्या में शामलि एक कैप्टन** को सैन्य न्यायालय द्वारा **आजीवन कारावास** की सज़ा सुनाई गई। हालाँकि उत्तरी सेना के कमांडर द्वारा पुष्टि कयि जाने के पश्चात् सज़ा को अंतमि रूप दयि जाएगा।

- **न्यायालयी जाँच (CoI)** के पश्चात् कैप्टन का कोर्ट-मार्शल कयि गया था और बाद में सबूतों का वश्लिेषण करने पर पाया गया कि कैप्टन के आदेश के तहत सैनकिों ने **सशस्त्र बल (वशिेष शक्तयिां) अधनियिम** के अंतर्गत **अपने अधकिार की सीमा को पार कयि था।**

कोर्ट मार्शल की प्रक्रयिा:

- जब सेना चाहती है कि उसके कर्मयिों के खलिाफ लगे आरोपों की जाँच हो, तो वह पहले इस उद्देश्य की पूर्ति के लयि एक न्यायालयी जाँच (CoI) सुनश्चिति करती है।
  - यह चरण पुलसि द्वारा प्रथम सूचना रपिोर्ट (FIR) **दर्ज करने के समान** है।
- न्यायालयी जाँच शकिायत की पुष्टि करती है **लेकनि सज़ा नहीं दे सकती।** CoI गवाहों के बयान दर्ज करती है, जो **दंड प्रक्रयिा संहति (CRPC) की धारा 161** के तहत एक पुलसि अधकिारी द्वारा गवाहों की जाँच के समान है।
- CoI के नष्किर्षों के आधार पर आरोपी अधकिारी के लयि **कमांडगि ऑफसिर द्वारा एक अस्थायी आरोप पत्र तैयार कयि जाता है।**
  - उसके बाद आरोपों को सुना जाता है (जैसे नागरकिों से जुड़े मामले में मजस्ट्रिेट द्वारा अभयिुक्त को प्रारंभकि समन देना) फसि **साक्ष्य का सारांश दर्ज कयि जाता है।**
- एक बार यह प्रक्रयिा पूरी हो जाने के बाद एक **जनरल कोर्ट मार्शल (General Court Martial- GCM)** को नागरकि मामलों के लयि न्यायकि अदालत द्वारा परीक्षण के संचालन के समान आदेश दयि जाता है।

कानूनी प्रावधान:

- **सेना अधनियिम 1950 की धारा 164 के तहत अभयिुक्त एक पूर्व-पुष्टि याचकिा के साथ-साथ एक पश्च-पुष्टि याचकिा** दायर कर सकता है।
  - **पूर्व-पुष्टि याचकिा सेना कमांडर को भेजी जाएगी, जो इसकी वशिेषताओं पर वचिार करेगा।**
  - **चूँकि अधकिारी को बरखास्त कर उसकी रैंक छीन ली जाती है और उसे सेवा से नकिाल दयि जाता है** तथा सेना के कमांडर द्वारा सज़ा की पुष्टि करने के बाद सरकार को सफिारसि की जाती है।
- इन वकिल्पों के समाप्त हो जाने के बाद **अभयिुक्त सशस्त्र बल अधकिरण का दरवाज़ा खटखटा सकता है,** जो सज़ा को नलिंबति कर सकता है।
  - उदाहरण के लयि वर्ष 2017 में अधकिरण ने वर्ष 2010 के माछलि फर्ज़ी मुठभेड़ मामले में दो अधकिारयिों सहति पाँच सैन्यकर्मयिों को दी गई **उम्रकैद की सज़ा को नलिंबति कर दयि था।**

[स्रोत: जनसत्ता]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/court-martial